न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. पंचायत निगरानी संख्या : 30 / 2024
   जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 36

प्रार्थी :–

फुसाराम पुत्र श्री हीराराम
जाति देवासी निवासी रेबारियो बनाम
का वास, जीवदा, तहसील
बाली, जिला पाली, राज.

अप्रार्थीगण :–

1. चन्द्रादेवी पत्नी श्री
   सगतारामजी जाति रेबाड़ी
   निवासी जीवदा, तहसील
   बाली जिला पाली राज.
2. भलाराम पुत्र श्री प्रभुरामजी,
   जाति रेबाड़ी निवासी जीवदा,
   तहसील बाली जिला पाली
   राज.
3. ग्राम पंचायत सेणा, तहसील
   बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत सैणा द्वारा मिसल संख्या 11 / 14–15 में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 04 दिनांक 06.10.2017 जारी किया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

2. पंचायत निगरानी संख्या : 32 / 2024
   जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 38

प्रार्थी :–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

भल्लाराम पुत्र प्रभुराम देवासी बनाम
निवासी जीवदा तहसील बाली
जिला पाली राज.

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. जोराराम पुत्र हीराराम के
   कायम मुकाम वारिसानः–
   1.1 नगाराम पुत्र जोराराम
   1.2 भावाराम पुत्र जोराराम
   निवासीगण जीवदा
   तहसील बाली जिला
   पाली राज.
   1.3 जनु पुत्री जोराराम
   पत्नी वेणाराम
   निवासी जीवदा हाल
   निवासी बेडा, तहसील
   बाली जिला पाली
   राज.
   1.4 पांची पुत्री जोराराम
   पत्नी स्वरुपाराम
   निवासी जीवदा हाल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

निवासी वेलार,
तहसील बाली
2. रुपाराम पुत्र हीराराम
3. फुईयाराम पुत्र हीराराम तमाम
देवासी निवासीगण बाली
जिला पाली राज.
4. ग्राम पंचायत सेणा, तहसील
बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री भैराराम चौधरी।
2. अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली व सुरेश सैन।

–:निर्णय:–

दिनांक: 18.07.2025

न्यायालय हाजा में एक ही वृहद भूखण्ड के ग्राम पंचायत सेणा द्वारा जारी दो अलग भूमि विक्रय विलेख क्रमशः पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.04.1991 बज़तरफ श्री हीराराम तथा पट्टा संख्या 04 दिनांक 06.10.2017 बज़तरफ श्रीमती चन्द्रा देवी को अपास्त करने हेतु पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानीयां विचाराधीन है। पंचायत निगरानी जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/36 तथा जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/38 का मज़मून एक ही वृहद भूखण्ड से सम्बन्धित होने तथा अधिकांश पक्षकारान समान होने से दोनों निगरानियों को एक साथ निर्णीत किये जाने का निर्णय किया जाता है।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका (जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/36) अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम **पंचायत सैणा द्वारा मिसल संख्या 11/14–15 में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 04 दिनांक 06.10.2017 जारी किया जिसे निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।**

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/ 2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि:–

1. यह है कि, अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 03 के साथ मिलावट करके उसे प्रभाव में लेकर तथा प्रतिलोभन देकर अपने पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश जैर निगरानी पारित करवाकर अपने पक्ष में विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा जारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

करवा दिया है, जो सरासर गलत, कानून व नियम के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2. यह है कि, किसी भी ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भूमि का पट्टा जारी करना होता है, तो सर्वप्रथम वह व्यक्ति जिसको पट्टा प्राप्त करना होता है, पंचायत नियमों के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु पंचायत में आवेदन पेश करेगा, जिसमें भूमि का विस्तृत विवरण अड़ोस पड़ोस सहित होगा, तत्पश्चात नियमानुसार आवेदनकर्ता को पंचायत में फीस जमा करवा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, तत्पश्चात पंचायत उक्त भूमि का पट्टा जारी किये जाने से संबंधित पत्रावली कायम करेगी। इस प्रक्रिया का पालन इस प्रकरण में नहीं किया गया है, इस कारण आदेश जैर निगरानी निरस्त होने योग्य है।

3. यह है कि प्रार्थी के पिताजी हीराराम पुत्र श्री कानाराम के नाम पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 22/89–90, जारी दिनांक 10.04.1991 को ग्राम पंचायत सैणा द्वारा पूर्व में पट्टा जारी किया गया है। उसी पट्टे पर अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 03 से मिलावट कर प्रार्थी के दक्षिणी भाग की तरफ के आधे भाग पर अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने नाम से पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त योग्य है।

4. यह है कि पंचायत निगरानी में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि एक पट्टे के प्रभाव में रहते हुए उक्त भूमि का दूसरे व्यक्ति के नाम दूसरा पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर चुपचाप पट्टा हासिल कर दिया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 02 को बाले–बाले बेचाण कर दिया। जो निरस्त होने योग्य है।

5. यह है कि, पत्रावली कायम किये जाने के बाद पंचायत अपने सचिव को अथवा नक्शा नवीश को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का अडौस पड़ौस एवं नाप चौक व क्षेत्रफल की भूमि मौके पर स्थित हैं अथवा नहीं, मौका देखने हेतु नियुक्त करेगी, वह नक्शा नवीश मौके की जांच का नक्शा बनाकर पंचायत में पेश करेगा, इस प्रक्रिया की पालना इस प्रकरण में नहीं की गई है। इस कारण आदेश जैर निगरानी निरस्त होने योग्य है।

6. यह है कि नक्शा नवीश द्वारा मौका देखने के बाद पंचायत, मौका देखने हेतु तीन वार्ड पंचो की नियुक्ति करेगी, जो वार्ड पंच मौका देखकर अपनी रिपोर्ट पंचायत में पेश करेंगे कि पट्टा जारी किया जाना उचित है अथवा नहीं, इस प्रक्रिया का पालन भी इस प्रकरण में नहीं किया गया है।

7. यह है कि तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण की रिपोर्ट पेश होने के बाद पंचायत यदि इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि संबंधित भूमि का संबंधित प्रार्थी को पट्टा जारी किया जाना उचित है तो पट्टा जारी किये जाने के संबंध में पंचायत, प्राथमिक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय लेगी, लेकिन इस प्रकरण में न तो तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई, ना ऐसा कोई प्राथमिक निर्णय लिया गया है, इस कारण भी आदेश जैर निगरानी निरस्तनीय है।

8. यह है, कि जब पंचायत भूमि का पट्टा जारी करने के लिये प्राथमिक निर्णय ले लेती है, तब पंचायत एक महीने का सार्वजनिक उजरदारी (एतराज) का नोटिस जारी करेगी कि पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति विशेष को आपत्ति है, तो वो नोटिस चस्पा किये जाने की तारीख से 30 दिन के अन्दर–अन्दर ग्राम पंचायत को अपनी आपत्ति पेश करे तथा उस नोटिस की एक प्रति पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति गांव के आम चौराहा पर तथा एक प्रति वह भूमि जिसका पट्टा जारी किया जाना है पर ऐसी जगह मौत बिरान की उपस्थिति में चस्पा करेगी, जो जन सामान्य को आसानी से दिख सके तथा जिन मौतबिरान का नाम, पिता का नाम, जाति, निवासी आदि का विस्तृत विवरण नोटिस की पृष्ठ पर होगा, इस प्रकरण में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इस कारण आदेश जैर निगरानी निरस्त होने योग्य है।

9. यह है कि नोटीस चस्पा होने के 30 दिन के अन्दर यदि कोई उजर आपत्ति पंचायत में नहीं आती है, तो पंचायत प्रार्थी एवं उसके गवाह के बयान लेकर अग्रिम कार्यवाही करेगी, लेकिन इस प्रक्रिया की भी पालना इस प्रकरण में नही हुई है, इस कारण भी आदेश जैर निगरानी निरस्त होने योग्य है।

10. यह है कि उक्त पत्रावली आदेश बिना दिनांक को कायम किया जाना अंकित है, लेकिन जहां तक प्रार्थी को ज्ञात हुआ था कि आदेश जारी करते समय पंचायत बैठक का आयोजन नहीं हुआ था, तो बिना तारीखो की पत्रावली किसके समक्ष व कैसे कायम होगी। इस कारण भी आदेश जैर निगरानी निरस्त होने योग्य है।

11. यह है कि दिनांक 20.03.2013 को आवेदन पेश होना बताया, दिनांक 06.10.2017 को विक्रय विलेख जारी करना बताया, नक्शा बनाने वाले ने उक्त भूखण्ड की कोई भुजा अंकित नही की है एवं उक्त पट्टा जारी करने की दिनांक 06.10.2017 अंकित की गई है एवं रसीद संख्या 90, दिनांक 07.12.2017 जमा होना बताया है लेकिन जहां तक प्रार्थी को पता है पंचायत की बैठक का आयोजन नही किया गया था जो निरस्त होने योग्य है।

12. यह है कि बयान किस तारीख को, कहां पर लिये गये, अंकित नहीं है और बयानों में कांट–छांट कर बयानो को आधार मानकर आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

अतः निगरानी का स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर निगरानी दिनांक बिना दिनांक मिसल संख्या 11/14–15, पट्टा संख्या 04, दिनांक 06.10.2017 जो ग्राम पंचायत सैणा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया है, को निरस्त फरमाया जावें।

काविल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने निगरानी याचिका में प्राथमिक आपत्ति मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

1. यह है कि पट्टा संख्या 4 की रिहायशी कच्चे मकान को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंजीयन बेचान दिनांक 18.12.2017 के जरिये खरीद किया गया है। अप्रार्थी का कब्जा व उपयोग व उपभोग है। पंजीयन बेचान निरस्ती का वाद पेश नहीं किया गया है। निगरानी का सिविल स्कोप है। मौके पर बिजली का कनेक्शन है। इस कारण निगरानी स्वीकार होने योग्य है।
2. यह है कि प्रार्थी व इसके भाई के विरुद्ध सिविल जज बाली में वाद बअनवान भल्लाराम बनाम जोराराम पेश किया व टी.आई. भी पेश की जिसके नम्बर 26/18 दिनांक 30.05.2018 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया है इस कारण से निगरानी पेश की है। सिविल न्यायालय में तन्कियात बनाकर, साक्ष्य लेकर राइट व टाइटल तय किये जाऐंगें। इस कारण से सिविल वाद के विचारण रहते निगरानी चलने योग्य नहीं है।
3. यह है कि सिविल जज बाली द्वारा टी.आई. में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश पारित किये गये। दिनांक 5.5.2018 को मौके की स्थिति रेकर्ड पर लाई गई। जो हीराराम के पट्टे से मेल नहीं खाती है। कमिश्नर रिपोर्ट में पश्चिम व दक्षिण में रास्ते बताये गये है। हीराराम के वारिस के रुप में प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश की है। रास्ते की भूमि का पट्टा प्रार्थी के पिता को दिया गया है। पश्चिमी भुजा कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नहीं है, 80 फीट पश्चिम की भुजा होना माना जाता है तो रास्ते की भूमि को शामिल कर पट्टा दिया है। प्रार्थी के पिता के पट्टे व कमिश्नर रिपोर्ट के नक्शे से स्थिति मौके की मेल नहीं खाती है। इस कारण अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पट्टे को खारिज करने की निगरानी पेश की है। दोनो निगरानियाँ एक ही स्थान बाबत है। नक्शा पेश किया गया है।
4. यह है कि निगरानी में पट्टा संख्या 4 के निरस्ती की रिलीफ चाही गई है जो प्रार्थी प्राप्ति का अधिकारी नही है। मिसल में दिनांक 06.10.2017 संख्या ..... लिया है। इसे चुनौति नहीं दी गई है। इस कारण उक्त कार्यवाहिया व प्रस्ताव अंतिम हो चुके है। पट्टा सिविल अधिकार दे चुका है। इस कारण निगरानी चलने योग्य नहीं है।
5. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के नियमों की पालना कर, मौका निरीक्षण करवाकर, पूरी प्रक्रिया अपना कर, आपत्ति पत्र जारी कर, नक्शा फीस व अन्य शुल्क

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त कर मिसल कायम कर ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया जो विधि अनुसार है।

न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य निगरानी याचिका (जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/38) अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत सैणा द्वारा मिसल संख्या 22/89–90 फैसला मिसल 10.03.1991 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 10.03.1991 जिसमें हीराराम को पट्टा जारी किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/ 2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सैणा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता के नाम ग्राम की आबादी भूमि में बनाप पूर्व व पश्चिम भुजा प्रत्येक 80 फीट तथा उत्तर व दक्षिण प्रत्येक भुजा 25 फीट का पट्टा जारी किया गया, इस पट्टे को जारी करते समय पूर्व का पडौस प्रभुराम हरजी दर्ज किया गया, इस पट्टे के पश्चिम व दक्षिण में रास्ता बताया गया, पट्टा 80 फीट लम्बाई का जारी किया गया, इसमें रास्ते की भूमि शामिल कर पट्टा जारी किया गया, जिस नाप का पट्टा जारी किया गया है, यह मौके पर एग्जिस्ट नही करता है पट्टा विधि मौके की स्थिति के विरुद्ध जारी किया गया है, इस कारण निम्न आधारों सहित निगरानी जैर पट्टा पेश है।

1. यह है कि आदेश पट्टा, प्रस्ताव पट्टा विधि, तथ्य, रिकॉर्ड साक्ष्य व मौके की स्थिति के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।
2. यह है कि जैर निगरानी पट्टे में पूर्व पश्चिम भुजा 80 फीट बताई गई है, पश्चिम में पट्टे के अनुसार 80 फीट भुजा होना संभव नही है, क्योकि दक्षिण में रास्ता स्थित है मौके पर पश्चिम की भुजा 50 फीट ही रहनी है, पूर्व की भुजा 44 फीट है तो 80 फीट पूर्व व पश्चिम के नाप का पट्टा दिया गया है, यह रास्ते की भूमि का है, मौके पर इसका अस्तित्व नही है, इस कारण आदेश पट्टा, प्रस्ताव मौके की स्थिति के विरुद्ध है।
3. यह है कि दिनांक 05.05.2018 को सिविल न्यायालय बाली के निर्देश पर मौका कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट पेश की, इसमें पूर्व भुजा 44 फीट व पश्चिम भुजा 50 फीट बताई गई है, व दक्षिण में रास्ता बताया है, इस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, कि पट्टा अप्रार्थीगण के पिता को दक्षिण की तरफ रास्ते की भुमि पर दिया गया है।
4. यह है कि प्रार्थी के पिता का पैतृक परिसर अप्रार्थी के उत्तर की भुजा 25 फिटस व दक्षिण की भुजा 25 फिटस नाप छोड कर हीराराम ने अपने पट्टे की भूमि होना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

माना है, व अप्रार्थीगण के पट्टे में भी पूर्व में इसी अनुसार प्रभुराम का पडौस अंकित है, मौके पर पूर्व में पडत भुमि नहीं है, इस कारण पट्टा अप्रार्थी अवैध है, इसी तरह अप्रार्थीगण के दक्षिण की तरफ श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नि सगताराम रेबारी का परिसर है, जो पट्टा संख्या 04 है, व मिसल संख्या 11/14–15 है, मौका पर कब्जा व उपयोग व उपभोग श्रीमती चन्द्रा देवी का रहा है, श्रीमती चन्द्रा देवी ने दिनांक 18.12.2017 को उक्त परिसर प्रार्थी को बैचाण कर दिया है, मौके पर कब्जा प्रार्थी का है, प्रार्थी का सामान गाड़ी इत्यादि रखा है। इस कारण कब्जा रहित अप्रार्थीगण का पट्टा होने से पट्टा अप्रार्थीगण के पिता को जो जारी किया है, अवैध है।

5. यह है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खरीदशुदापरिसर में अतिक्रमण करने से आमादा रहने से सिविल न्यायाधीश बाली में वाद व टी.आई पेश की, टी.आई नम्बर 20/18 है, इसमें अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 30.05.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।

6. यह है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण के पिता को जो पट्टा जारी किया गया, इसकी मिसल नही है, दिनांक 05.12.2009 को अन्य तारीख को व दिनांक 18.02.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को यह सूचित किया कि मिसल संख्या 22/88–89 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है, इस कारण पट्टा आदेश व पट्टा फर्जी व कूटरचित है।

7. यह है कि स्वर्गीय हीराराम को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया, इसमें अप्रार्थीगण के पिता के कब्जे के सबूत पेश नही किये गये, बिना कब्जे के सबूत के अभाव में पट्टा जारी किया गया है, यह पट्टा पंचायत नियमों के विरुद्ध है।

8. यह हैकि आवेदन में भूमि का विवरण नहीं दिया गया है, नाप नही दिया गया है, नक्शा फीस, आवेदन शुल्क जमा नही हुआ है मौका का निरीक्षण नहीं किया गया आपत्ति पत्र जारी नहीं किया गया, न ही चस्पानगी की गई, पंचायत नियमों की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया न ही पडौसियों को सूचना दी गई, पट्टा जैर निगरानी की भूमि के कब्जे बाबत् तफतीश नहीं की गई।

9. यह है कि स्वर्गीय हीराराम नियम 266 के तहत पट्टा प्राप्ति का अधिकारी नही था, न ही कोरम में प्रकरण विवरण पेश किया गया, इस कारण आदेश पट्टा प्रस्ताव कार्यवाहिया विधि विरुद्ध है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 22/89–90 में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 10.03.1991 लेकर पट्टा जारी दिनांक 10.04.1991 को किया गया है, इस प्रस्ताव, पट्टा, पट्टा आदेश व कार्यवाहियां को निरस्त फरमाया जावे। निगरानी स्वीकार फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा हीराराम पुत्र कानाजी के पक्ष मे जो पट्टा जारी किया है जिसकी लम्बाई 80 फीट व चौडाई 25 फीट है जो मौके पर निर्विवाद रुप से स्थित है। उक्त पट्टे की भूमि मे किसी भी प्रकार से रास्ते की भूमि को सम्मिलित नहीं किया है तथा पट्टा मौके की स्थिति व विधि अनुसार सही बनाया गया है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निगरानी के आधारो का निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया गया:-

1. यह है कि पट्टा न. 24 अप्रार्थी हीराराम के हक में विधि, तथ्य रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार बनाया गया है जो किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता है।
2. यह है कि पट्टा न. 24 की लम्बाई 80 फीट चौडाई 25 फीट है, जो मौका व रिकॉर्ड व पट्टे अनुसार सही है व मौके पर पश्चिम की भूजा 50 फीट व पूर्व की भूजा 44 फीट होना गलत है। उक्त पट्टे की भूमि में किसी भी प्रकार से रास्ता की भूमि नहीं आती है। इस पद में वर्णित तथ्य गलत है।
3. यह है कि दिनांक 05.05.2018 की मौका कमिश्नर रिपोर्ट एक तरफा बनायी गयी है। उस समय अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से कोई उपस्थित नही था। मौके की स्थिति सन 1990 से लगाकर आज दिन तक 80 X 25 फीट की स्थिति में है।
4. यह है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत है। हीराराम ने कभी नही माना कि प्रार्थी के पिता का परिसर अप्रार्थीगण के उत्तर की भूजा 25 फीट व दक्षिण की भूजा 25 फीट है। पूर्व दिशा में अवश्य ही प्रभुराम का पडौस स्थित है इसलिए पूर्व दिशा में पड़त भूमि अप्रार्थीगण के पट्टे के पास नहीं है जिससे पट्टे को अवैध नही कह सकते। अप्रार्थीगण के पट्टे के दक्षिण की तरफ चन्द्रा देवी का परिसर नही है तथा न ही मौके पर कब्जा है तथा न ही पट्टे का उपयोग कर रही है तथा दिनांक 18.12.2017 को उक्त परिसर भलाराम को बेचान करना बताया है वह पूर्णरुप से गलत है तथा चन्द्रा देवी का जो पट्टा बनाया गया है वह भी पूर्ण रुप से गलत बनाया गया है। क्योंकि न तो वहा पर चन्द्रा का कब्जा था तथा उक्त पट्टा अप्रार्थी के पट्टाशुदा जमीन 80 X 25 फीट की जमीन पर बनाया जाने से उक्त पट्टे का निरस्त करने के लिए अप्रार्थी फूसाराम की ओर से एक निगरानी इसी न्यायालय में पेश की है। जिसकी सुनवाई भी इसी पत्रावली के साथ में चल रही है। जहां तक चन्द्रा द्वारा पट्टा भलाराम को बेचने का प्रश्न है चन्द्रा के नाम जारी किये गये पट्टा अप्रार्थी के पट्टा की भूमि पर पट्टा बनाया गया है तथा चन्द्रा के उक्त पट्टे मे यह शर्त अंकित है कि आवंटिती या उसके वारिसदारों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अंतरण का अधिकार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में चन्द्रा द्वारा उक्त पट्टे का बेचान भलाराम के हक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

में किया जाना बताया है जो शून्य हो जाता है तथा भलाराम को उक्त बयान से किसी भी प्रकार के अधिकार नही मिलने से यह निगरानी पेश करने का अधिकार भलाराम का नहीं होने से यह निगरानी निरस्त होने योग्य है।

5. यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने पट्टे 80 X 25 फीट से ज्यादा जमीन पर कब्जा नहीं होने से उसने किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है तथा सिविल न्यायाधीश महोदय बाली द्वारा जो भी आदेश पारित किया गया है वह अंतिम नही है तथा वर्तमान में पत्रावली अभी भी न्यायालय में चल रही है जिससे उसके किसी भी आदेश को अंन्तिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

6. यह है कि पैरा न. 05 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है इस पद का जवाब यह है कि अप्रार्थी हीराराम के नाम का पट्टा न. 24 जारी किया हुआ है जिसके मिसल न. 22/89–90 व तारीख दायरा 25.09.1989 है तथा इसकी पूरी कार्यवाही करके सरपंच, उपसरपंच सचिव, नक्शा नवीश आदि को उपस्थिति में दिनांक 10.04. 1991 को अपने हस्ताक्षरों सहित पट्टा जारी किया हुआ है जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली ग्राम पंचायत में बनी हुई है तथा बैठक की कार्यवाही के विवरण रजिस्टर में भी उसका उल्लेख है जिसकी प्रमाणित प्रति अप्रार्थीगण के पास में है जिसकी फोटोप्रति पेश की जा रही है। उक्त पंचायत की बैठक दिनांक 10.03.1991 को हुई थी जिसकी फोटोप्रति पेश है। इस प्रकार उक्त पट्टा किसी भी तरीके से कूटरचित व फर्जी नही है। अप्रार्थी के हक में जो पट्टा जारी किया हुआ है उसको किसी भी परिस्थिति में शून्य नही माना जा सकता है।

7. यह है कि पैरा न. 06 जिस समय ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा बनाने की कार्यवाही चल रही थी उस समय अप्रार्थीगण के कब्जे के सबुत पेश किए गए थे जिसके आधार पर ही पट्टा जारी किया गया है जिससे उक्त पट्टे को नियमों के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।

8. यह है कि पैरा न. 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है इस पद का जवाब यह है कि अप्रार्थी के पट्टा बनाने की पत्रावली में भूमि का विवरण व नाप दिया गया था। मौका निरीक्षण किया गया था व आपत्ति पत्र जारी किये थे। पूरे नियमों का पालन किया जाकर पट्टा न. 24 अप्रार्थीगण के हक में जारी किया गया था। उक्त पट्टे में रकम वर्णित है जो नियमानुसार ग्राम पंचायत मे जमा करायी जा चुकी थी। जिसके रसीद नम्बर भी पट्टा पर उल्लेखित है। अब ग्राम पंचायत सेणा का यह कहना कि यह पत्रावली पंचायत में उपलब्ध नही है मानने योग्य नही है। क्योंकि ग्राम पंचायत ने इस पत्रावली के उपलब्ध नही होने बाबत क्या क्या कार्यवाही अपने स्तर पर की व उच्च स्तर पर की जो आज दिन तक नही बताया गया है तथा इस पत्रावली के उपलब्ध नही होने बावत या कही पर गुम हो जाने बाबत पुलिस में भी कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

शिकायत नही की है। जिससे ऐसा लगता है कि उक्त पत्रावली को राजनैतिक प्रभाव में आकर प्रार्थी को फायदा पहुंचाने की नियत से गायब किया गया हो ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के उपर इस तरह की गतिविधियों से कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है तथा प्रार्थी व ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के विरुद्ध झूठा, फर्जी, व कूटरचित पट्टा प्राप्त करने का कोई भी मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में पट्टा नम्बर 24 को अवैध मानने का कोई अधिकार नहीं है।

9. यह है कि पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस पद का जवाब है कि पट्टा नम्बर 24 बनाते समय पंचायत के नियमों की पूर्ण पालना की गई है कोरम पूर्ण था जिनकी पूरी बैठक हुई है जिससे पट्टा जारी करने की विधि को किसी भी तरीके से गैर कानुनी नही माना जा सकता।

ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड पूर्व में प्राप्त जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का विनिश्चय किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष जी.सी.एम. प्रकरण संख्या 2024/36 ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सैणा द्वारा प्रार्थी के पिताजी हीराराम पुत्र श्री कानाराम के नाम जारी पट्टा संख्या 24, मिसल संख्या 22/89–90, जारी दिनांक 10.04.1991 को जारी पट्टे पर अप्रार्थी संख्या 01 ने पंचायती राज नियमों के प्रतिकूल अप्रार्थी संख्या 01 (जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/36) पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/36 ने वक्त बहस प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सैणा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना में मौका निरीक्षण कर पूरी प्रक्रिया अपना कर अप्रार्थी संख्या 01 (जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/36) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिका खारिज फरमावें।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/38 ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सैणा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता के नाम जिस नाप का पट्टा जारी किया गया है, वह मौके पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तथा पट्टा विधि एवं मौके की स्थिति के विरुद्ध जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2024/38 ने वक्त बहस प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा हीराराम पुत्र कानाजी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है, जिसकी लम्बाई 80 फीट व चौडाई 25 फीट है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

मौके पर निर्विवाद रुप से स्थित है। उक्त पट्टे की भूमि में किसी प्रकार की रास्ते की भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा मौके की स्थिति व विधि अनुसार पूरी प्रक्रिया की पालना कर बनाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिका खारिज फरमावें।

हस्तगत निगरानी याचिकाओं पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पक्षकारों द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि श्री भलाराम द्वारा आलोच्य भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में मूलवाद प्रकरण संख्या 26/2018 बाबत् सर्वकालिक स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है, जो वक़्त बहस अधिवक्तागण द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आदिनांक विचाराधीन है। उक्त मूलवाद के साथ श्री भलाराम द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण संख्या 20/2018 के रुप में दर्ज किया गया एवं श्रीमान सिविल न्यायाधीश बाली द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 20/2018 दिनांक 05.11.2019 को निर्णीत करते हुए उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाए।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह ज़ाहिर होता है सिविल न्यायालय बाली में लम्बित पूर्वोक्त मूल वाद तथा निर्णीत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत सेणा भी बतौर पक्षकार संयोजित है। अर्थात ज़ैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश प्रवृत्त है। साथ ही, पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से यह भी ज़ाहिर होता है कि श्री भलाराम द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद प्रकरण संख्या में ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 04 बज़तरफ श्रीमती चन्द्रादेवी तथा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2017 का अंकन करते हुए उस आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। उक्त मूलवाद में अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाबपत्र में ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.04.1991 बज़तरफ श्री हीराराम का अंकन करते हुए श्रीमती चन्द्रा देवी के पक्ष में निष्पादित आलोच्य पट्टा संख्या 04 को अवैध करार दिया है।

इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.04.1991 तथा पट्टा संख्या 04 दिनांक 06.10.2017 के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य इस न्यायालय के साथ साथ न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली के समक्ष भी न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है। अर्थात् हस्तगत दोनों पंचायत निगरानियों की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

ववस्तु अर्थात् प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में मूल वाद लम्बित है तथा **न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन उक्त मूलवाद के निस्तारण से पूर्व आलोच्य पट्टो की वैधता अथवा अवैधता के सम्बन्ध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी अथवा अन्तिम निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है।** यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि श्रीमान सिविल न्यायाधीश बाली द्वारा प्रार्थना पत्र सिविल विविध प्रकरण संख्या 20/2018 में जरिए आदेश दिनांक 05.11.2019 से विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मूलवाद के निस्तारण तक मौके के साथ साथ रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने की निषेधाज्ञा जारी की हुई है, जिस से उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार ग्राम पंचायत सेणा भी आबद्ध है।

अतः सिविल न्यायालय में विचाराधीन उक्त मूलवाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 24 दिनांक 10.04.1991 तथा पट्टा संख्या 04 दिनांक 06.10.2017 के सम्बन्ध में इस स्तर पर अन्तिम निर्णय पारित करना न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा।

अतः हस्तगत दोनों पंचायत निगरानीयाँ इस आधार पर अस्वीकार की जाती है कि पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में भी न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है तथा उक्त न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने की निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है।

उभयपक्षकारान् न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में विचाराधीन पूर्वोक्त मूल वाद के निस्तारण उपरान्त माफ़िक निर्णय पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगें।

निर्णय आज दिनांक **18.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली जिला (पाली)

Scanned with OKEN Scanner